

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-29092021-230057
SG-DL-E-29092021-230057

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]	दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 2021/ आश्विन 7, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 189
No. 279]	DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 29, 2021/ASVINA 7, 1943	[N. C. T. D. No. 189

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 29 सितम्बर, 2021

सं.फा. 6/10/2021—न्याय/अधि.वि./994—997.—सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 15 के साथ पठित वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अर्न्तगत तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 15 मई, 2018 के एस. ओ. सं. 1917 (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली उच्च न्यायालय की सहमति से एतद्वारा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अर्न्तगत गठित जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/न्यायाधीश की पदेन शक्तियां दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रत्येक अधिकारी को प्रदत्त करते हैं जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किए गए स्थानान्तरण/तैनाती आदेशों के अनुसरण में इस तरह के किसी भी प्रभार को ग्रहण करने की तिथि से उनके द्वारा प्रयोग की जा सकेंगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,
संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
NOTIFICATION

Delhi, the 29th September, 2021

No.F. 6/10/2021-Judl./Suptlaw/994-997.--In exercise of the power conferred under Sub-Section (3) of Section 3 of the Commercial Courts Act, 2015 read with Section 15 of the General Clause Act, 1897 and S.O No.1917(E) dated 15th May, 2018 of Ministry of Home Affairs, Govt. of India, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with the concurrence of High Court of Delhi, hereby confers the ex-officio powers of Presiding Officer/Judge of the Commercial Court at District level constituted under The Commercial Courts Act, 2015 on each of the officer of Delhi Higher Judicial Service, to be exercisable by each of them with effect from the date of assumption of any such charge by them, in pursuance of the transfer/posting orders made by the Chief Justice of High Court of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
National Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Pr. Secy. (Law, Justice & L.A.)